मि.नं. 900/17
मो० हकीम / सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तार[...] अहकाम जो [...] हुक्म की ता[...] में जारी हु[...]
9.4.19	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित है। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोष, मौका रिपोर्ट, तथा प्रा० पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किये दस्तावेजात पर सम्यक मनन किया। प्रार्थी द्वारा ग्राम रामपुरिया की भूमि आराजी नम्बर 159 रकबा 0.10 हेक्टर को अपने नाम दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में निजामुद्दीन पुत्र अनवरउद्दीन के खाते में दर्ज थी, जिसे प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया है। प्रकरण वर्णित भूमि वाके माल मौजा रामपुरिया खसरा नम्बर साबिक 105 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में से 19 बिस्वा भूमि कंवरलाल, बजरंगलाल पुत्र व मांगीबाई पुत्री भैरया जाति भील ठाकुर से दि० 14.9.99 को क्रय की गई। भूमि की किस्म बारानी सोयम क्रय की गई थी। उक्त क्रय उपरान्त 14.9.99 को बैनामा का पंजीयन करवाया गया तथा रजि० दस्तावेज के आधार पर नामा० नं० 178 से उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा अपने नाम दर्ज करवाई तथा उक्त विक्रेतागण द्वारा उक्त खसरा	

9/4/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नम्बर 905 रकबा 9111)2 में से 111)4 भूमि प्रार्थी को बैंचान के उपरान्त प्रार्थी की पत्नी को भी बकाया 111)2 भूमि के बैंचान का पंजीयन करवाया। उक्त पंजीयन के बाद नामा० नम्बर 179 से ख०नं० 905 रकबा 111)2 किस्म बा० सो० रुकसाना पत्नी मो० सलीम के नाम पर दर्ज की गई। प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 905 रकबा 111)4 किस्म बारानी सोयम जो उसने कंवरलाल बजरंगलाल-भील ठाकुर से क्रय की थी को दिनांक 25.11.99 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवाया गया। प्रार्थी द्वारा क्रयशुदा भूमि ख० नं. 905 रकबा 111)4 को संपरिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि को प्रार्थी द्वारा रकबा 1)2 निजामुद्दीन पुत्र अनवरउद्दीन को दि० 15.10.01 को बैंचान किया, जिसका नामा० नं० 204 दि० 19.12.01 उक्त क्रेता के नाम अमल० किया गया। हस्ब मिलान सेटलमेंट साबिक खसरा नम्बर 905 रकबा 111)4 के दो नवीन नम्बर 959 रकबा 0.10 हे० तथा 960 रकबा 0.06 हैक्टर कायम किये गये हैं। ख० नं० 959 व 960 को निजामुद्दीन पुत्र अनवरउद्दीन के नाम पर दर्ज कर दिया गया अर्थात 07 बिस्वा के स्थान पर उक्त के नाम दोनों खसरा नम्बरान की भूमि दर्ज कर दी इस प्रकार निजामुद्दीन के नाम पर प्रथम [signature] 05/4/14	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
	12 बिस्वा (बारह बिस्वा) भूमि अधिक दर्ज कर दिया जाना प्रकट होता है, उक्त क्रेता निजामुद्दीन द्वारा ख० नं० 160 की रकबा 0.06 है० भूमि खेकन्निसा प०० रमजान अली को बैचान कर दिया जाना प्रकट होता है।	
	इस प्रकार कँवरलाल बजरंगलाल जाति भील ठाकुर की भूमि किस्म बारानी सोयम साबिक खसरा नम्बर 104 रकबा 9111/2 प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेज अनुसार 1/2 प्रार्थी के नाम, 1/2 निजामुद्दीन तथा बाद बैचान क्रेता खेकन्निसां के नाम, 111/2 भूमि करंसाना प०मो० सलीम के नाम पर दर्ज रहनी चाहिये।	
	पर्न्तु प्रकरण में जिस भूमि पर प्रार्थी अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है वह भूमि निजामुद्दीन के नाम पर दर्ज है, तथा उक्त व्यक्ति प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार प्रतीत होता है प्रार्थी द्वारा उक्त व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया है।	
	इस प्रकार प्रकरण में NON.JOINDER of. Parties का दोष प्रमाणित है किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसके पक्ष या विरुद्ध में आदेश	
~ 09/4/14		

[redacted]

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। इस प्रकार किसी के विधिक अधिकार (सुनवाई का अधिकार) को अवबाधित करते हुये कोई आदेश प्रार्थी के पक्ष में पारित किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।	
	हमने प्रकरण में यह पाया कि प्रार्थी द्वारा भील ठाकुर जाति जिसका S.T. अनु० जनजाति में आना जाहिर आता है, से 1/4 भूमि क्रय की, तथा 1/2 भूमि करलाना पत्नि मो० सलीम ने क्रय की! इस प्रकार ख० नं. 905 रकबा 9/2 में से 1/4 प्रार्थी ने तथा 1/2 बिस्वा भूमि किस्म बारानी सोयम क्रय की थी क्रेता S.T. के सदस्य नहीं है, इस प्रकार उक्त दोनों के पक्ष में विक्रेतागण द्वारा 14.9.99 को किये गये विक्रयपत्र धारा 42 R.T. Act से अवबाधित प्रतीत होते है।	
	अतः तहसीलदार रामगंजमण्डी को यह निर्देश दिये जाते है, कि वे ग्राम रामपुरिया की भूमि साबिक खसरा नं० 905 रकबा 9/2 के क्रम में सम्पादित विक्रयपत्र दिनांक 14.9.99 के सम्बंध में यह जाँच करें, कि आया उक्त विक्रय	~~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी
	में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन हुआ है? या नहीं? पूर्व खातेदारान् के जाति प्रमाण-पत्र यदि S.T. अनुसूचित जाति जन जाति के हो-या पूर्व खातेदार अनुसूचित जन जाति से संबंध रखते हो तो नियमानुसार उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर १०५ (रकबा १।।।)$_2$ के हाल नम्बरान पर धारा 175 R.T. Act की प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जावें। प्रार्थना पत्र प्रार्थी नॉन जोइन्डर ऑफ पार्टीज़ के दोष से ग्रसित होकर प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के उपरान्त प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। तहसीलदार रा० मण्डी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.05-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

Scanned by CamScanner